

CHAKULIA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 590357090121122857

Date : 09-01-2021

प्रभावी : 4 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री : DOLI MAHATO W/O SUNIL CHANDRA MAHATO,
मोहल्ला : PURANA BAZAR DHARM SHALA ROAD , CHAKULIA CHAKULIA
EAST SINGHBHUM , 832301
8340140438

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0060000192000M0 वार्ड सं. 6 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	17.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		17.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, CHAKULIA NAGAR PANCHAYAT Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूर्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय पूर्ति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शरित (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- CHAKULIA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमरतो/टाचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मातिका / दखतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नमो का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट सरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.